भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5131
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-एसजीएमबीवाई के उद्देश्य

5131. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) का उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड/शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छतों पर सौर पैनल लगाने वालों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों/लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फरवरी, 2024 से देश में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमजी: एमबीवाई का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) से रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना द्वारा व्यक्तिगत घर में 300 यूनिट प्रति माह तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली के उत्पादन में सहायता करना है:

- व्यक्तिगत घरों के लिए प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए सीएफए 30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक के लिए 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध है। व्यक्तिगत घरों के लिए सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट पीक रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता तक है।
- समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक है, जिसमें रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता सीमा 500 किलोवाट पीक है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मामले में सीएफए 10 प्रतिशत अधिक है।

आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत, ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन वाले सभी व्यक्तिगत घर तथा जीएचएस/आरडब्ल्यूए इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

*****